6

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते
भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

किशोर कुमार लकड़ा
26-2-09

46 (1) Pro. C.

23 J A With the Permission by L R D C Simdega vide Case No. 291/2008-09 Order dated 13-2-09
27/2/9

27.2.09

१. लेख्यकारी:- श्री किशोर कुमार लकड़ा पिता श्री अमृत सहाय लकड़ा, जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- गोतरा ठाकुरटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

...... विक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 132/09

पहचान - कुमार केरकेट्टा
पिता श्री ... केरकेट्टा
ग्राम ... टोली सिमडेगा
थाना - सिमडेगा
जिला - सिमडेगा
दि. - 26-2-09

61/09

000189/09

[500/- 65 दि 17-2-09]

श्री. किशोर कुमार लकड़ा
श्री अमृत सहाय लकड़ा
ग्राम. गोंझा ठाकुरटोली
सिमडेगा
निम्नलिखित वस्तुविनियम स्टाम्प
कार्य: केवाला
रकम 4,240/-
17/2/09
कोषागार विभाग
सिमडेगा

1000×4 = 4000
100×2 = 200
20×2 = 40

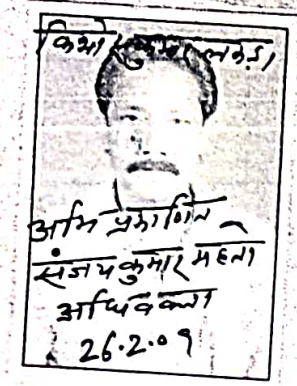

कुल 4,240

किशोर कुमार लकड़ा

अभि प्रमाणित
संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
26.2.09

किशोर कुमार लकड़ा
26-2-09
27-2-09

27.2.09 10 to 1

किशोर कुमार लकड़ा
अमृत सहाय लकड़ा
गोंझा सिमडेगा
ठाकुरटोली
27/2/9

27/2/9

MS
27-2-09

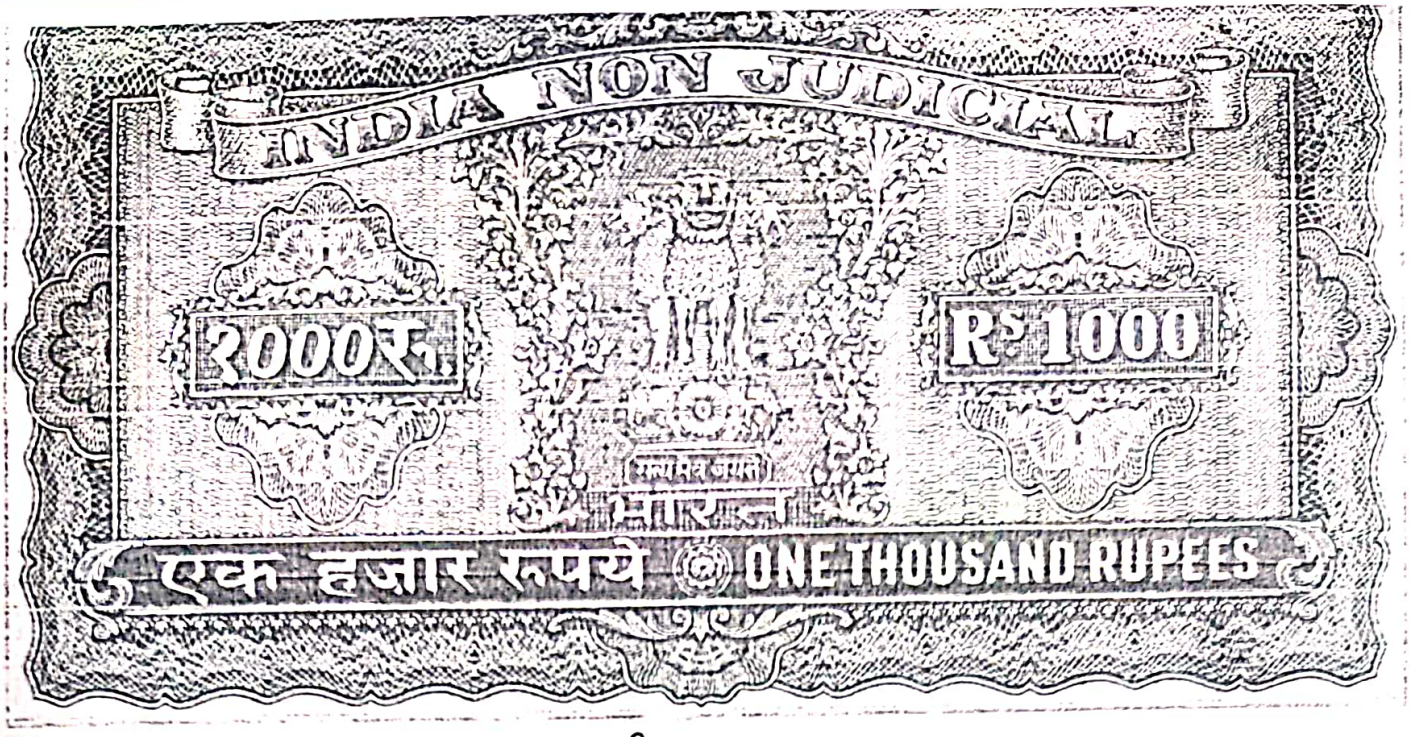

INDIA NON JUDICIAL

२000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते
भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

{2} लेख्यधारिणी:- सुश्री विमला सुमंग डुँगडुँग पिता स्व0 सेला इम्मानुएल डुँगडुँग, जाति- खड़िया, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- सिमडेगा खरवाटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्या:- 133/09

{3} लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

{4} मूल्य:- मो बलिग एक लाख छः हजार रुपये अंके 1,06,000/- रुपये जिसका आधा तिरपन हजार रुपये अंके 53,000/- रुपये होता है ।

{5} सम्पत्ति:- एराजियात अन्दर मौजा- गोतरा ठाकुरटोली थाना- सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 101 {एक सौ एक} प्लॉट नं0 5057 {पाँच हजार सनतावन} रकबा 0.06 एकड़ {छः डिसमिल} आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट पर छोड़ा गया रास्ता नीज,

दक्षिण:- घेरा बारी सलमोन टोप्पो,

नाम - विनिता कि.
पिता - श्री ... कि.
ग्राम - ... टोली
थाना - सिमडेगा
जिला - सिमडेगा
ता: - 26-2-09

किशोर कुमार ...

पूरब :- टांड़ इसी प्लॉट का अंश मैकल कुल्लू,
पश्चिमः- टांड़ इसी प्लॉट का अंश नीज विक्रेता ।
मालगुजारी 2 पैसा (दो पैसा) अलावे सेस सलाना ।

(1) चूँकि मुझ लेखयकारी को मकान निर्माण एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेखयधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेखयधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेखयधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन मेरी खरिदगी जमीन है जिसे मैंने निबंधित केवाला संख्या 411/1987 दिनांक 20.07.1987 के द्वारा खरीदा हूँ । मालगुजारी रसीद मेरे नाम से कटता है । उक्त जमीन पर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा

किशोर कुमार लाकड़ा
26-2-09

1000Rs.

है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 291/2008-09 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 13.2.09 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 90§11§ दिनांक 13.2.2009 है ।

किशोर कुमार लकड़ा
26-2-09

§5§ अब चाहिए कि लेखयधारिणी अपनी जमीन पर काबिज नो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय मे अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

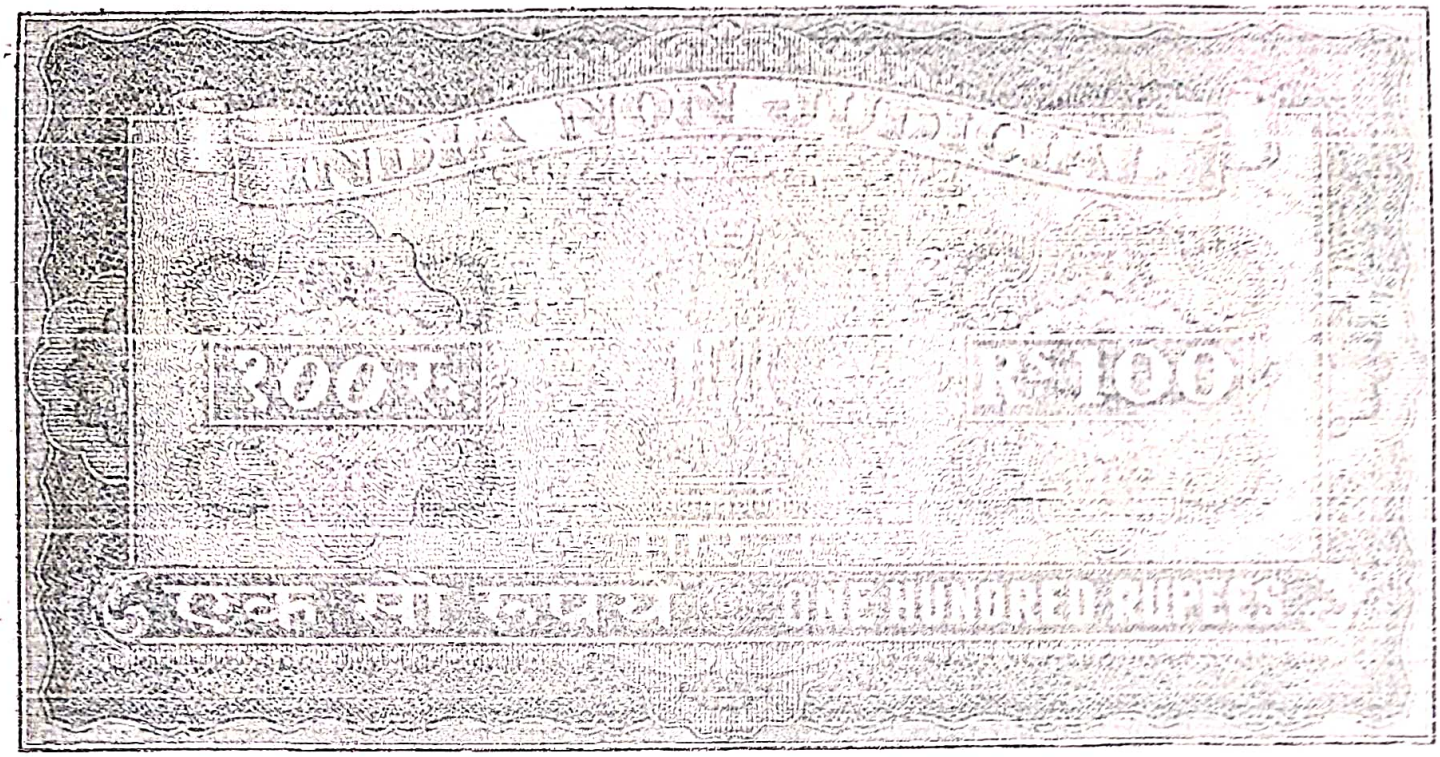

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

100Rs. Rs.100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

—5—

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

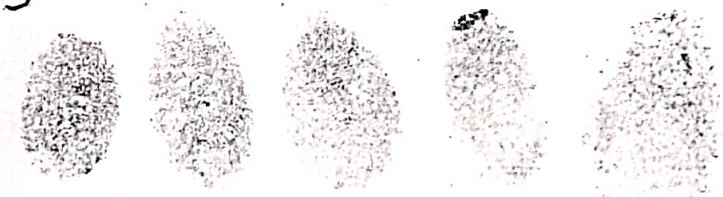

किशोर कुमार लाकड़ा
26-2-09

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
26.2.09

किशोर कुमार लाकड़ा
26-2-09